छत्तीसगढ़ शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 01–22 / 2013 / 23 नया रायपुर, दिनांक 20 / 05 / 2015

प्रति,

आयुक्त सह संचालक,
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,
छत्तीसगढ़, रायपुर।

विषयः– प्रथम एव द्वितीय श्रेणी के पद पर पदोन्नति करने हेतु विभागीय परीक्षा का पाठ्यक्रम का निर्धारण।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक 824 / 14 / आसासा / 1–प्रशा(गोप), दिनांक 16.03.2014

––00––

उपरोक्त विषयातंर्गत संदर्भित ज्ञाप के अनुक्रम में प्रथम एव द्वितीय श्रेणी के पद पर पदोन्नति करने हेतु विभागीय परीक्षा का आयोजन किये जाने हेतु अनुमोदित पाठ्यक्रम की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। कृपया परीक्षा आयोजित करते हुए पदोन्नति का प्रस्ताव उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नः– यथोपरि।

(एस. एन. नामदेव) 20/5/15
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

145

विषय :— छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक एवं सांख्यिकी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2013 में उल्लेखित विभागीय पदोन्नति परीक्षा का पाठ्यकम निर्धारण।

उपरोक्त विषयाँतर्गत भर्ती नियम 2013 की अनुसूची 4 के स्तंभ कमाँक 6 में उल्लेखित विभागीय पदोन्नति परीक्षा हेतु निम्नानुसार पाठ्यकम है :—

अनुसूची— पांच
नियम 14,15 एवं अनुसूची—चार देखिए

छत्तीसगढ़ आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा (राजपत्रित)

1. विभागीय परीक्षा साधारणतः माह— जून व दिसम्बर में प्रतिवर्ष दो बार आयोजित होगी।
2. पदोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, किन्तु जिस वर्ष पदोन्नति की जावेगी उस वर्ष को 01 जनवरी की स्थिति में 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के अधिकारियों को विभागीय परीक्षा से छूट होगी।
3. अजजा/अजा वर्ग वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा के अंकों में नियमानुसार छूट दी जावेगी।
4. दोनों प्रश्नपत्र में **50%** अंक प्राप्त होने पर ही उत्तीर्ण माना जावेगा।
5. पाठ्यक्रम को विभाग की आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जा सकेगा।

सहायक संचालक (योजना/सांख्यिकी) (द्वितीय श्रेणी) से उपसंचालक (प्रथम श्रेणी) हेतु विभागीय पदोन्नति परीक्षा पाठ्यक्रम

प्रश्नपत्र —1 (लघु उत्तरीय) — 100 अंक

1. विभागीय ज्ञान—

राज्यीय आय, जिला आय, पूँजी निर्माण, बजट विश्लेषण, बिजनेस रजिस्टर, राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण, जीवनांक, CRS, आई.आई.पी, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण, W.P.I., सकल प्रकार CPI, कृषि सांख्यिकी एवं उसका राष्ट्रीय एवं जिला आय में उपयोग, भवन निर्माण सांख्यिकी, शिक्षा सांख्यिकी, स्वास्थ्य सांख्यिकी, खनिज सांख्यिकी, आर्थिक गणना की अवधारणाएँ, विभाग में प्रचलित नियम अधिनियम का ज्ञान, माध्य, मध्यिका, बहुलक, मानक विचलन, सामाश्रयण सह—संबंध।

प्रश्नपत्र — 2 (गणित एवं कम्प्यूटर प्रायोगिक)— 100 अंक

2. सामान्य गणित एवं कम्प्यूटर ज्ञान—

भाग — 1 (गणित) 25 अंक

प्रतिशत, औसत, अनुपात—समानुपात, साधारण ब्याज, लाभ—हानि, संचयी वार्षिक विकास दर (CAGR), जी.पी.एफ ब्याज गणना इत्यादि।

भाग — 2 (कम्प्यूटर प्रायोगिक) 75 अंक

- **एम.एस.वर्ड** — सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट एवं फार्मूला लिखना, वर्ड टेबल में योग करना, मेल मर्ज करना, पैराग्राफ में टैक्स्ट बाक्स में एलाईन करना, पेज नंबरिंग इत्यादि।
- **एम.एस.एक्सेल** — Deleting duplicates records, converting text to column, importing data from ascii format, exporting data to MS Access & other database, inserting comments, hyperlinking, cell property, , use of filter, pivot table, converting krutidev font (numerical) to times new roman or other excel friendly fonts, unicode, use of proper graphs & charts, nestedif etc.
- **एक्सेल कमांड** — find, replace, exact, power, sqrt, ceiling, even, round, convert, trunk, , if, sumif, sumifs, countifs, lookup, vlookup, hlookup, match, concatenate, mid, len, proper, and, or, trim, left, right, averageifs, correl, forecast.
- RDBMS, normalization, select

क्रमशः

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 जनवरी 2014—पौष 27, शक 1935

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2013

क्रमांक ई-01-01/2013/एक/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18-10-2013 द्वारा विधान सभा निर्वाचन के दृष्टिगत तत्कालिक व्यवस्था हेतु विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 29-04-2013, दिनांक 01-05-2013 एवं दिनांक 21-05-2013 को अस्थायी रूप से आस्थगित करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र क्र. 464/CHH-LA/2013, दिनांक 18-10-2013 अनुसार श्री सुब्रत साहू, भा.प्र.से. (सीजी:1992) को अस्थाई रूप से आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर पदस्थ किया गया था एवं श्री के. डी. पी. राव, भा.प्र.से. (1988) को श्री साहू की पदस्थी अवधि में अनिवार्य-प्रतिक्षारत (On Compulsory-wait) रखा गया था.

2. विधान सभा निर्वाचन की कार्यवाही पूर्ण होने के कारण विभाग के उपरोक्त वर्णित समसंख्यक आदेशों को पुन: प्रभावशील किया जाता है. श्री के. डी. पी. राव, भा.प्र.से. (सीजी : 1988) को तत्काल प्रभाव से विशेष-कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह-आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु आदेशित किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

क्र.	रिजर्व का नाम	रिजर्व में सम्मिलित ग्रामों के नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल एकड़ में	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	कोटमीसोनार (मगरमच्छ) संरक्षण रिजर्व	कोटमीसोनार (पटवारी हल्का नम्बर-4)	2124, 2125	29.57	11.966	उत्तर - कृत्रिम सीमा रेखा, मुनारा क्र. 1 की सीमा से मुनारा क्र. 15 तक की सीमा.
			2668/1	19.38	7.849	
			2671/1	62.97	25.502	
			2668/7	6.49	2.628	पूर्व- कृत्रिम सीमा रेखा, मुनारा क्र. 15 की सीमा से मुनारा क्र. 26 तक की सीमा.
			2668/6	5.08	2.057	
			2668/5	8.62	3.491	
			2668/4	1.75	0.709	दक्षिण- कृत्रिम सीमा रेखा, मुनारा क्र. 26 की सीमा से मुनारा क्र. 32 तक की सीमा.
			2668/3	2.00	0.810	
			2668/2	5.00	2.025	पश्चिम- कृत्रिम सीमा रेखा, मुनारा क्र. 32 की सीमा से मुनारा क्र. 37 की सीमा से होकर मुनारा क्र. 1 की सीमा तक विस्तारित.
		योग	10	140.86	57.037	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

क्रमांक एफ 8-14/2012/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-14/2012/10-2 दिनांक 27 दिसम्बर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, विशेष सचिव.

Raipur, the 27th December 2013

No. F 8-14/2012/10-2.—Whereas, in the recent past, all the Crocodiles of ponds near Kotmisonar Gram Panchayat of Janjgir Tahsil of Janjgir-Champa District were transferred to the Kotmisonar irrigation tank for the purposes to mitigate the human-crocodile confilict and Kotmisonar Crocodile Conservation Scheme was lunched by the Forest Department on the demand of Gram Panchayat and other people's representatives;

Whereas, the area of 57.037 hectares of Government revenue land transferred by the Government including the area of Kotmisonar tank was handed over to the Forest Department and the budget has been provided under the 'head (6722)-Crocodile Conservation Scheme' by the State Government;

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 जनवरी, 2014

क्रमांक एफ 01–50 / 2008 / 23.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक एवं सांख्यिकी (राजपत्रित) सेवा के सदस्यों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**— (1) ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक एवं सांख्यिकी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2013 कहलायेंगे।

   (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

   (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

   (ख) "आयोग" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;

   (ग) "समिति" से अभिप्रेत है अनुसूची–चार में यथाविनिर्दिष्ट चयन समिति / विभागीय पदोन्नति समिति ;

   (घ) "परीक्षा" से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 के अधीन भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा;

   (ङ) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

   (च) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

   (छ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना कमांक एफ–8–5–पच्चीस–4–84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछडे वर्ग;

   (ज) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

   (झ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

   (ञ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जंनजाति;

   (ट) "सेवा" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक एवं सांख्यिकी (राजपत्रित) सेवा;

   (ठ) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात् :–

   (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय, अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल या स्थानापन्न हैसियत में धारण कर रहे हों;

   (2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और

   (3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रीमीलेयर) से संबंधित हों, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी,

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये, उच्चतर आयु सीमा 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(घ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जाएगी:–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो और किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 (तीन) वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ङ) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफरिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो:–

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें–

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(दो) **शैक्षणिक अर्हताएं.**– अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये यथा विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव होना चाहिए, जैसा कि अनुसूची–तीन में विनिर्दिष्ट है।

(तीन) **शुल्क.**– **(क)** अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी/आयोग द्वारा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।
(ख) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होने के लिये अपेक्षित किया गया हो, को स्वास्थ्य परीक्षा होने के पूर्व चिकित्सा मण्डल के अध्यक्ष को शासन द्वारा यथा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता.**– (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, आयोग द्वारा परीक्षा/चयन के लिए उसे निरर्हित माना जा सकेगा।

(2) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकते हों से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ्य पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि आवश्यक समझे, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

(10) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और शासन की राय में यह पाया जाए कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमिलेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमिलेयर) के अभ्यर्थियों के लिये अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

12. **आयोग द्वारा चयनित किये गये अभ्यर्थियों की सूची.**— (1) आयोग, उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रिमीलेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों, तथा महिला, निःशक्त व्यक्ति/भूतपूर्व सैनिक से संबंधित प्रत्येक प्रवर्ग के अभ्यर्थियों, जो आरक्षण के फलस्वरूप ऐसे स्तर से अर्हित हों, उनके (ऐसे अभ्यर्थियों के) मेरिट क्रम में सूची, तैयार करेगा, जिसकी वैधता, नियुक्ति हेतु शासन को सूची भेजे जाने की तारीख से एक वर्ष की होगी।

(2) उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये आयोग की वेबसाइट पर अधिसूचित की जायेगी।

(3) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोग द्वारा प्रत्येक प्रवर्ग के लिये एक चयन सूची तैयार की जायेगी, ऐसे प्रवर्ग के लिये एक प्रतिक्षा सूची भी तैयार की जायेगी, जिसमें न्यूनतम एक नाम तथा रिक्त पदों के अधिकतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे। इस सूची की वैधता, ऐसी चयन सूची के जारी होने की तारीख से डेढ़ वर्ष की होगी।

स्पष्टीकरण– प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्त पदों के 25% आंकलन के लिए, इसे पूर्णांक में लाने हेतु, अंक को अगले पूर्णांक तक बढ़ा दिया जायेगा।

(4) आयोग, उप-नियम (1) के अधीन तैयार की गई चयन सूची, नियुक्ति के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु शासन को अग्रेषित करेगा।

(5) इस नियम तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(6) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि शासन का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये, कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(7) किसी अभ्यर्थी, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, के वैधता अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने, त्यागपत्र देने या किन्हीं कारणों से योग्य न पाये जाने पर या वैधता अवधि के दौरान चयनित अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर, आयोग द्वारा प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम, नियुक्ति हेतु अनुशंसित किये जा सकेंगे।

(8) यदि प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम भेजे जाने के लिये शासन से अनुरोध प्राप्त होता है, तो आयोग उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, प्रतीक्षा सूची से नाम अनुशंसित करेगा तथा इसे शासन को भेजेगा।

(9) आयोग, शासन से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात्, शासन को युक्तियुक्त कारण दर्शाते हुए, अधिकतम 6 माह की कालावधि के लिए, चयन सूची की वैधता अवधि में वृद्धि कर सकेगा।

उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) (एक) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति, वरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियारिटी कम फिटनेस) के आधार पर अथवा अनुपयुक्त अभ्यर्थी को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहां सभी वर्गों के लिये विचारण हेतु कोई आधार नहीं होगा। केवल लोक सेवकों की ऐसी संख्या के प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा, जो कि प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान पद तथा 1 (एक) वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए पर्याप्त होगी।

(दो) ऐसे मामलों में, जहां पदोन्नति योग्यता सह वरिष्ठता (मेरिट कम सीनियारिटी) के आधार पर की जानी हो, वहां विचारण के लिए क्षेत्र कुल रिक्त पदों के दो गुने से चार अधिक होगा। यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शासकीय सेवकों की पर्याप्त संख्या, पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो, तो विचारण के क्षेत्र में कुल रिक्त पदों की संख्या के सात गुने तक वृद्धि की जा सकेगी तथा आरक्षित पदों की पूर्ति, उपरोक्त उल्लेखित विचारण क्षेत्र में आये आरक्षित संवर्ग के व्यक्तियों से की जा सकेगी। समिति, उक्त विचारण क्षेत्र से प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा 1 (एक) वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए विचार करेगी।

(3) उप–नियम (2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त, उपरोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो, उनके नाम सम्मिलित करने के प्रयोजन से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जायेगा।

(4) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

(5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अन्य प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश, पदोन्नति के लिये लागू होंगे।

16. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.–** (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपरोक्त नियम 14 एवं 15 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से 1 वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त, उक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये एक आरक्षित सूची तैयार की जायेगी, जिसमें प्रत्येक प्रवर्ग से एक एवं अधिकतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे।

(2) उपयुक्त अधिकारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी।

(3) इस प्रकार तैयार की गई सूची प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षित एवं पुनर्विलोकित की जायेगी।

(4) चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यदि सेवा के किसी सदस्य का अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित हो, तो समिति, यथास्थिति, प्रस्तावित अवक्रमण हेतु अपने कारण अभिलिखित करेगी।

17. **आयोग से परामर्श.–** (1) नियम 16 के अनुसार तैयार की गई सूची, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आयोग को भेजी जायेगी:–

(एक) सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के अभिलेख।

22. शिथिलीकरण.- इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो ।

23. **निरसन एवं व्यावृत्ति.–** (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतदद्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंधित आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक अवस्थी, संयुक्त सचिव.

अनुसूची एक
(नियम 5 देखिए)

स.क्र	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	संचालक	01	प्रथम श्रेणी (राजपत्रित)	रु. 37400–67000 + ग्रेड वेतन– 8900/–
2	अपर संचालक	01	प्रथम श्रेणी (राजपत्रित)	रु. 37400–67000 + ग्रेड वेतन– 8700/–
3	संयुक्त संचालक	03	प्रथम श्रेणी (राजपत्रित)	रु. 15600–39100 + ग्रेड वेतन– 7600/–
4	उप–संचालक/ जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी	30	प्रथम श्रेणी (राजपत्रित)	रु. 15600–39100 + ग्रेड वेतन– 6600/–
5	सहायक संचालक, योजना/ सहायक संचालक, सांख्यिकी	67	द्वितीय श्रेणी (राजपत्रित)	रु. 15600–39100 + ग्रेड वेतन– 5400/–

अनुसूची चार
(नियम 14 देखिए)

छत्तीसगढ़ आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा (राजपत्रित)

स.क.	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति/ नियुक्ति हेतु पात्र होने के लिए अनुभव की न्यूनतम अवधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	संयुक्त संचालक	अपर संचालक	3 वर्ष	(1) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा नामांकित अधिकारी **–अध्यक्ष** (2) सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी **–सदस्य** (3) सामान्य प्रशासन विभाग का प्रतिनिधि **–सदस्य** (4) संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी या उनके द्वारा नामांकित अधिकारी **–सदस्य**	
2	उप संचालक/ जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी	संयुक्त संचालक	5 वर्ष	– तदैव –	
3	सहायक संचालक, योजना/सहायक संचालक, सांख्यकी	उप संचालक/ जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी	5 वर्ष	– तदैव –	4 वर्ष की सेवा अवधि के पश्चात्, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने पर, पदोन्नति के लिए अनुशंसा की जायेगी
4.	सहायक सांख्यकी अधिकारी	सहायक संचालक, योजना /सहायक संचालक, सांख्यकी	5 वर्ष	– तदैव –	4 वर्ष की सेवा अवधि के पश्चात्, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने पर, पदोन्नति के लिए अनुशंसा की जायेगी

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 मई 2015—वैशाख 25, शक 1937

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2015

क्रमांक ई-1-03/2015/1/2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री एन. के. असवाल, भा.प्र.से. (1983), अपर मुख्य सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अपर मुख्य सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

No. F 1-93/2010/नौ/17-1.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Health and Family Welfare Department Non-ministerial Para-Medical and Nursing (Directorate Health Services) Class-III Service Recruitment Rules, 2013, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—

In Schedule-I, under the heading "Nursing Service Cadre", for the entry in column (6) relating to entry Staff Nurse of serial number 3, the following shall be substituted, namely :—

"Joint Director Health Services, Chhattisgarh, Naya Raipur"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक अवस्थी, संयुक्त सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2015

क्रमांक एफ 01-50/2008/23.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक एवं सांख्यिकी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

1. अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 1 कॉलम (4) में, शब्द एवं अंक "3 वर्ष" के स्थान पर, शब्द एवं अंक "5 वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 3 एवं 4 के कॉलम (6) में शब्द एवं अंक "4 वर्ष की सेवा अवधि के पश्चात्, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने पर, पदोन्नति के लिये अनुशंसा की जायेगी" के पश्चात्, चिन्ह् एवं शब्द "। विभागीय परीक्षा के पाठ्यक्रम तथा प्रक्रिया इत्यादि के संबंध में विभाग पृथक से निर्देश जारी करेगा." जोड़ा जाये.

No. F 01-50/2008/23.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh State Economics and Statistical (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2013, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—

1. In column (4) of serial number 1 of Schedule-IV, for the word and figure "3 years", the word and figure "5 years" shall be substituted.

2. In column (6) of serial number 3 and 4 of Schedule-IV, after the words and figure "After 4 years of service the recommendation for promotion will be given after passing the departmental examination", the symbol and words ". Department will issue the instructions regarding syllabus and procedure etc. of the departmental examination separately." shall be added.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक अवस्थी, संयुक्त सचिव.